भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1704

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

बैंक एनपीए

1704. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा व्यक्तियों, उद्योगों और कॉरपोरेट घरानों को बैंक-वार कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बकाया ऋणों/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का ब्यौरा क्या है और इसकी हिस्सेदारी और प्रतिशतता क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे ऋणों की वसूली में बैंक-वार क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने के लिए बैंकों को शाखा स्तर पर कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) की प्रक्रिया को सरलीकृत और विकेन्द्रीकृत करने की अनुमति दी गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान 30.9.2022 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सकल अग्रिमों जिसमें व्यक्तियों, उद्योगों, कॉरपोरेट्स को दिए गए ऋण शामिल हैं, के संबंध में बकाया राशि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

दिनांक 30.09.2022 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएसबी के सकल अनुप्रयोज्य आस्ति (जीएनपीए) अनुपात का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, पीएसबी ने पिछले तीन वित्तीय वर्ष में 2,81,471 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की है।

(घ) और (ङ): अगस्त 2001 में शुरू की गई कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना(सीडीआर) योजना को आरबीआई द्वारा जून 2019 में "दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे" के संबंध में परिपत्र जिसमें आरंभ में पहचान करने और समयबद्ध रूप से दबावग्रस्त आस्स्तियों के समाधान की व्यवस्था की गई है, जारी करके वापस ले लिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए को रोकने तथा इसे कम करने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा व्यापक उपाय किए गए हैं जिनमे अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं: -

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के कारण ऋणदाता-कर्जदार के संबंधों में मूलभूत बदलाव आया है, चूककर्ता कंपनी के प्रवर्तकों/स्वामियों से कंपनी का नियंत्रण छीन लिया गया और समाधान प्रक्रिया से इरादतन चूककर्ताओं को प्रतिबंधित किया गया जिससे ऋण संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। इस प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने हेतु कॉरपोरेट उधारकर्त्ता के व्यक्तिगत गारंटीदाता को आईबीसी के दायरे में लाया गया है।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के रूप में वर्गीकृत कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए कार्यकुशल वैकल्पिक शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया उपलब्ध कराने, सभी पणधारकों के लिए वैसी पद्धति, जो उनके व्यवसाय को जारी रखने और रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम हानिकारक हो, में शीघ्र, किफायती और अधिकतम परिणामी मूल्य प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए आईबीसी के अंतर्गत प्री पैकेज्ड दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी) को परिचालनरत किया गया था।

(3) समाधान योजना को आरंभ में ही अपनाने हेतु उधारदाताओं के लिए अंतर्निहित प्रोत्साहन के साथ दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान आरंभ में करने, इसकी रिपोर्ट करने और समयबद्ध समाधान करने के लिए एक अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु आरबीआई द्वारा 2019 में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण संरचना जारी की थी।

(4) सेंट्रल रिपोजिट्री ऑफ इंफोर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) ऋण संबंधी आंकड़ों को जुटाता है, उन्हें संग्रहित करता है तथा उधारदाताओं को उक्त आंकड़े उपलब्ध करता है तथा बैंकों को 5 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक के एक्सपोजर वाली उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में साप्ताहिक आधार पर सीआरआईएलसी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(5) पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत उधार खातों में समयबद्ध रूप से समाधान का उपाय करने हेतु ~80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स तथा तृतीय पक्ष आंकड़ों का उपयोग करके पीएसबी में व्यापक, स्वचलित आरंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) लागू की गयी।

(6) पीएसबी ने कड़ाई से वसूली हेतु दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल तैयार किया है, परिशुद्ध तथा प्रभावी निगरानी हेतु मंजूरी पूर्व तथा मंजूरी उपरांत अनुवर्ती भूमिकाओं को अलग-अलग किया गया है और बड़े मूल्य वाले खातों की निगरानी के लिए विशेषज्ञता प्राप्त निगरानी एजेन्सियों को कार्य पर लगाया है।

(7) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्संरचना और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(8) इरादतन चूककर्ताओं को बैंकों अथवा वित्तीय संस्था द्वारा कोई भी अतिरिक्त ऋण मंजूर नहीं किया जाता है तथा उनकी इकाई को पांच वर्ष के लिए नए उपक्रम आरंभ करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

(9) इरादतन चूककर्ताओं तथा वैसी कंपनियों जिनके प्रवर्तक/निदेशक इरादतन चूककर्ता हैं, को निधि जुटाने हेतु पूंजी बाजार में जाने से प्रतिबंधित किया गया है।

*****

अनुबंध-I

राशि करोड़ आईएनआर में

निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार व्यक्तियों, उद्योगों, कारपोरेट घरानों पर बकाया ऋणों सहित सकल अग्रिम (वैश्विक)				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	30-09-2022
बैंक ऑफ बड़ौदा	7,38,096	7,51,590	8,18,121	8,73,496
बैंक ऑफ इंडिया	4,16,521	4,10,436	4,57,014	4,93,814
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	94,889	1,07,654	1,35,240	1,48,216
केनरा बैंक	6,60,717	6,75,155	7,41,147	8,24,147
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,72,244	1,76,913	1,89,712	1,97,022
इंडियन बैंक	3,68,663	3,90,317	4,15,625	4,37,941
इंडियन ओवरसीज बैंक	1,34,771	1,39,597	1,55,801	1,72,713
पंजाब नैशनल बैंक	7,62,721	7,39,407	7,85,104	8,30,212
पंजाब एंड सिंध बैंक	62,564	67,811	70,387	73,739
भारतीय स्टेट बैंक	24,22,845	25,39,393	28,18,671	30,35,071
यूको बैंक	1,14,961	1,18,405	1,29,777	1,42,156
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6,66,117	6,53,684	7,16,408	7,73,690

स्रोत: आरबीआई

अनुबंध-II

आज की तिथि के अनुसार पीएसबी का जीएनपीए अनुपात (%)				
	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022	30-09-2022
बैंक ऑफ बड़ौदा	9.40	8.87	6.61	5.31
बैंक ऑफ इंडिया	14.78	13.77	9.98	8.51
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	12.81	7.23	3.94	3.40
केनरा बैंक	9.25	8.93	7.34	6.37
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	18.92	16.55	14.84	9.67
इंडियन बैंक	11.39	9.85	8.47	7.30
इंडियन ओवरसीज बैंक	14.78	11.69	9.82	8.53
पंजाब नैशनल बैंक	13.79	14.12	11.78	10.48
पंजाब एंड सिंध बैंक	14.18	13.76	12.17	9.67
भारतीय स्टेट बैंक	6.15	4.98	3.97	3.52
यूको बैंक	16.77	9.59	7.89	6.58
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14.59	13.74	11.11	8.45

स्रोत: आरबीआई